



कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

:: सूचना ::

विज्ञापित क्र० 97/17

दिनांक 17/10/2017

प्राधिकरण की त्रिवेणी विहार एक मुश्त योजना मे रिक्त भवनों को पाने का सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व.मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	(पंजीयन पुष्टि होने के बाद 10 प्रतिशत पंजीयन राशि जमा की जाना है।)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी।	आरक्षण की स्थिति
1	त्रिवेणी विहार 24 एम-1 भवन	03 भवन	12,400/-	9.30 X 15 = 139.50 वर्ग मीटर	निर्मित 96.60 वर्ग मीटर	34,90,542	3,49,055	31,41,487	अ.ज.जा. 02 स्व.सं.से. 01 तृतीय विज्ञापित
2	त्रिवेणी विहार 60 EWS भवन सेक्टर-सी	04 भवन	12,400/-	4.5 X 9 = 40.50 व.मी.	निर्मित 25.00 व.मी.	8,95,450	89,545	8,05,905	अनारक्षित 01 प्राधि. कर्म. 01 स्व.सं.से. 02 तृतीय विज्ञापित
3	त्रिवेणी विहार न्यू 100 EWS भवन सेक्टर-बी	07 भवन	12,400/-	4.5 X 9 = 40.50 व.मी.	निर्मित 25.00 व.मी.	8,59,500	85,000	7,74,500	प्राधि. कर्म. 02 स्व.सं.से. 04 सैनि/भू.पू.से. 01 तृतीय विज्ञापित
4	त्रिवेणी विहार 24 LIG भवन	01 भवन	12,400/-	4.4 X 12 = 52.80 व.मी.	निर्मित 31.52 व.मी.	13,03,052	1,30,305	11,72,747	स्व.सं.से. 01 तृतीय विज्ञापित

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक, LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटौती के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञापित व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू, बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।

उक्त भवन पूर्व से निर्मित है तथा भवन पंजीयन पश्चात भवन की शेष राशि मांग सूचना पत्र जारी होने से 90 दिवस के भीतर एक मुश्त जमा करवाना अनिवार्य होगा। भवन जहां है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में विक्रय किये जा रहे हैं अतः भवन पंजीयन करवाने के पूर्व स्थल पर जाकर भवनों का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात ही आवेदन पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करें अन्यथा भवन पंजीयन करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति/आवेदन/ अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

उपरोक्त सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु फार्म/प्रपत्र इस विज्ञापित के अन्तर्गत बैंक से विहित राशि रूपये 1000/- (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/नगद राशि से दिनांक 23.10.2017 से दिनांक 31.10.2017 तक एच.डी.एफ.सी बैंक उज्जैन में जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। जमा फार्म शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा। आवेदन फार्म उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा करना होंगे।

1. पंजीयन आवेदन फार्म/प्रपत्र दिनांक 08.11.2017 से दिनांक 10.11.2017 तक प्रातः 11 बजे से सायं 4.00 बजे तक उज्जैन विकास प्राधिकरण में जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त आवेदनों का पंजीयन लाटरी पद्धति से दिनांक 13.11.2017 को उ.वि.प्रा. में प्रातः 11.30 बजे कन्फर्म किये जावेंगे। तथा निर्धारित संख्या से कम पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन कन्फर्म (पुष्टि) माने जावेंगे।


2. इस विज्ञापित के अन्तर्गत यदि कोई भवन पंजीकृत नहीं होता है तो आरक्षित वर्ग के भवनों को अनारक्षित में परिवर्तित कर दिया जावेगा।

नोट:- इस सूचना (विज्ञप्ति) अंतर्गत कुल 04 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे हैं। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट में पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट्स में आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण में लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

3. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क, नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।
4. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:- 1. विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट [www.uda.ujjain.org](http://www.uda.ujjain.org) पर उपलब्ध है।  
2. इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु हितग्राही योजना प्रभारी उ.वि.प्रा. एवं संबंधित बैंक से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

दीपावली के महापर्व की उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।



(जयदीप शर्मा)

सम्पदा अधिकारी

उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन



कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन

:: सूचना ::

विज्ञापि क्र. 9847

दिनांक 17-10-2017

प्राधिकरण की क्षिप्रा विहार/वसंत विहार/एल.पी. भार्गव नगर एक मुश्त योजना मे रिक्त भवनों को पाने का सुनहरा अवसर

क्र	प्रोजेक्ट	भवन संख्या	भूखण्ड दर कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2017-18 (रूपये प्र.व.मी.)	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल व.मी.में	निर्मित क्षेत्रफल व.मी.में	भवन का मूल्य भूमि सहित (रूपये)	(पंजीयन पुष्टि होने के बाद 10 प्रतिशत पंजीयन राशि जमा की जाना है।)	मांग सूचना पत्र अनुसार शेष राशि एक मुश्त 90 दिवस में जमा करना होगी।	आरक्षण की स्थिति
01	क्षिप्रा विहार 75 EWS भवन	09 भवन	14,000/-	4.2 X 9 = 37.80 व.मी.	निर्मित 25.20 व.मी.	8,94,816	89,480	8,05,336	अनु.ज.जा. 04 प्राधि. कर्म. 02 स्व.सं.से. 03 तृतीय विज्ञप्ति
02	क्षिप्रा विहार 237 EWS बहुमंजिला भवन	81 भवन	14,000/-	31.59 व.मी.	निर्मित 31.59 व.मी.	7,43,200	74,320	6,68,880	14 अनारक्षित 03 अनु.जाति 36 अनु.ज.जा. 01 पिछडा वर्ग 05 प्राधि.कर्म. 04 सैनि/भूपू. 09 स्व.सं.से. 07 बुद्धिजीवी कला. 02 दिव्यांग तृतीय विज्ञप्ति
03	क्षिप्रा विहार 28 LIG भवन	02 भवन	14,000/-	4.5 X 12 = 54.00 व.मी.	निर्मित 73.26 व.मी.	17,58,417	1,75,841	15,82,576	अनारक्षित 01 स्व.सं.से. 01 तृतीय विज्ञप्ति
04	एल.पी. भार्गव MIG डूब्लेक्स भवन	11/3 11/4	27,000/-	9 X 15 = 135.00 व.मी.	मूलतः निर्मित 82.00 व.मी. प्रथमतः 52.00 व.मी.	65,32,000	6,55,000	58,77,000	अ.ज.जा. 01 स्व.सं.से. 01 पूर्ण निर्मित तृतीय विज्ञप्ति
05	वसंत विहार सेक्टर-बी 10 MIG भवन	बी 6/7 6/8 6/9	--	9.30 X 15 = 139.50 व.मी.	निर्मित 69.60 व.मी.	52,02,500	5,20,250	46,82,250	अनारक्षित 02 अ.जा. 01 तृतीय विज्ञप्ति

1. आवेदन हेतु वही सदस्य पात्र होंगे जिनके की पति/पत्नी/अवयस्क संतान के नाम पर उ.वि.प्रा. में पूर्व से भूखण्ड/भवन हेतु पंजीयन नहीं हो तथा आवंटित नहीं की गई हो। पंजीयन हेतु वे ही आवेदक पात्र होंगे जिनके परिवार में पति/पत्नी/अवयस्क संतान की सम्पूर्ण वार्षिक सकल आय EWS हेतु रु. 3.00 लाख तक, LIG हेतु 3.00 लाख से 6.00 लाख एवं MIG हेतु 2.00 लाख से अधिक (बिना कटोत्रे के) इस हेतु आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

उक्त विज्ञप्ति व्ययन नियम 2013 के समस्त कंडिकाओं एवं शर्तों के प्रावधानों अनुसार प्रकाशित की जा रही है। अतः उक्त सम्पत्ति के संबन्ध में म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2013 प्रभावशील होकर लागू, बंधनकारक व पालनीय होंगे तथा समय-समय पर शासन, प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले नियम भी बंधनकारक होकर पालनीय होंगे।


नोट:- इस सूचना (विज्ञापित) अंतर्गत कुल 04 प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भवन व्ययन हेतु जारी किये जा रहे हैं। कोई भी आवेदक एक या एक से अधिक प्रोजेक्ट में भी आवेदन कर सकता है, इसके लिये उसे हर प्रोजेक्ट में पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि एक से अधिक प्रोजेक्ट्स में आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो आवेदक उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में उल्लेखित सम्पत्ति का चयन कर सकेगा। इस हेतु आवेदक आवेदक का पंजीयन कन्फर्म हो जाता है तो कन्फर्म होने से 15 दिवस के अंदर आवेदक को एक सम्पत्ति का चयन (घोषणा पत्र के द्वारा) तथा पंजीयन राशि जमा कराना होगी। इस हेतु आवेदक को प्राधिकरण में लिखित में सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उसकी समस्त जबाबदारी आवेदक की होगी।

3. लीजरेंट, भूमि परिवर्तन शुल्क, नक्शा शुल्क नियमानुसार पृथक से देय होगा।
4. रजिस्ट्रीकरण/लीजडीड/विक्रय पत्र प्रभार रजिस्ट्रार कार्यालय के नियमानुसार होगी।

नोट:- 1. विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट [www.uda.ujjain.org](http://www.uda.ujjain.org) पर उपलब्ध है।

2. इस विज्ञापित के अन्तर्गत जानकारी प्राप्त करने हेतु हितग्राही योजना प्रभारी उ.वि.प्रा. एवं संबंधित बैंक से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

दीपावली के महापर्व की उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।



(जयदीप शर्मा)

सम्यदा अधिकारी

उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन